

कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक,
लोक शिक्षण, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर (छत्तीसगढ़)

PHONE NUMBER - 87721-13278 EMAIL ID - info@surajeeb@gmail.com

३० आदेश ८३

अम्बिकापुर दिनांक 10/12/2021

क्र/स्था 2/शि.भर्ती/(T) Teacher (Physical Education)/(1)/2020/6151 छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एक अर न 1103/2019/20-दो
अटल नगर दिनांक 09.03.2019 के अनुक्रम में लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्रमांक
/स्था/विज्ञापन/सीधी भर्ती/2019/422-पीए अटल नगर दिनांक 09.03.2019 के द्वारा विज्ञापन जारी किया
गया था। छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर के पत्र क्रमांक एक
12-22/2020/20-दो नवा रायपुर दिनांक 19.02.2021 के अनुक्रम में विज्ञापित पदों हेतु छ.ग. व्यापम द्वारा
जारी परीक्षा परिणाम दिनांक- 21-Nov-19 की वरीयता के आधार पर आपके दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत
Teacher (Physical Education) के पद पर आपके द्वारा कार्य भार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप
से आगामी आदेश तक तीन वर्ष की परिचीक्षा अवधि पर शिक्षक तृतीय श्रेणी सातवें वेतनमान के वेतन मैट्रिक्स
लेवल 08 के पद पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 03 में अंकित शाला में पदस्थ किया
जाता है।

रोल नं./अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम/वर्ग	पता	पदांकित शाला का नाम	चयनित संवर्ग
1	2	3	4
13101216 SEVANT TIRKEY, FATHER - KAMIL TIRKEY CAT.- ST	H.NO.- STREET- CHALIYAPARA, CITY- BARJOR, POST- BARJOR, TENSIL- KASABEL, DIST.- JASHPUR, (CHHATTISGARH)	NAME OF SCHOOL- Higher Secondary School KHOD, BLOCK- OOGI, DISTT.- SURJPUR	ST

उपरोक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :-

- नियुक्त शिक्षक 28 दिसम्बर 2021 तक पदांकित शाला में कार्य भार ग्रहण करेंगे। निर्धारित तिथि तक कार्य भार ग्रहण न करने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा। नियुक्त शिक्षक दिनांक 28 दिसम्बर 2021 के पूर्व संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दस्तावेजों के मिलान के उपरांत अनुमति प्राप्त कर पदांकित शाला में कार्य भार ग्रहण कर सकेंगे। विद्यालय में कार्य भार ग्रहण करने के दिनांक को ही वास्तविक रूप से कार्य भार ग्रहण माना जायेगा।
- छ.ग.शासन वित्त विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश 21/2020 दिनांक 29.07.2020 एवं अधिसूचना दिनांक 28.07.2020 के अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों को तीन वर्ष की परिचीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टापपैन्ड देय होगा:-

प्रथम वर्ष- चयनित पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत
द्वितीय वर्ष- चयनित पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत
तृतीय वर्ष- चयनित पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत

परन्तु परिचीक्षा अवधि में स्टापपैन्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे। शिक्षक के पद पर नियुक्ति तीन वर्ष की परिचीक्षा पर तथा अस्थायी होगी। परिचीक्षा अवधि को सफलता पूर्वक पूर्ण न करने की दशा में उचित एवं पर्याप्त कारणों के आधार पर परिचीक्षा अवधि 01 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी।

०७